न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 338 सन 2019

अनवान :—

1. रामचन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चावलीदेवी पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश 3 काशीराम 4 रामकुमार पुत्रगण निकुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 सावित्री पुत्री निकुमरा पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी काशी का आस तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
6. विमला देवी पुत्री निकुराम जाति पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी काशी का आस ऐलनाबाद तहसील सिरसा
7. कुन्तादेवी पुत्री निकुराम पत्नि भालाराम जाति जाट निवासी काशी का आस तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
8. कृष्णा पुत्री निकुराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
9. सुमन पुत्री जगदीश पत्नी अनिल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
10. मन्जू पुत्री जगदीश पत्नी पवन जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
11 सुनीता पुत्री काशीराम पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी घेउ तहसील भादरा।
12. मोनिका पुत्री काशीराम पत्नी अनिल जाति जाट निवासी धेउ तहसील भादरा
13 पूनम पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
14 पूजा पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

16. गितेश कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
17. अजय पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 21/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 34/35 की 12.5280हैक भूमि में से 1.566हैक व खाता संख्या 35/61 की 13.8280हैक में से 1/4 हिस्सा यानी 3.457हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादी है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 14, 16,17 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 वादी की बहने/पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5, ता 14 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अन्य चकों/खाते में भूमि रख ली है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 , 16, 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति निकुराम पुत्र मधाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14, 16, 17 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 14 ,जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16 , 17 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा असरज़ाना के खाता संख्या 34/35 की 12.5280हैक भूमि में से 1.566हैक व खाता संख्या 35/61 की 13.8280हैक में से 1/4 हिस्सा यानी 3.457हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादी है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 14, 16,17 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 वादी की बहने/पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5, ता 14 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अन्य चकों/खाते में भूमि रख ली है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 , 16, 17ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 प्रस्तुत कर निवेदन किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा

की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 34/35 की 12.5280हैक भूमि में से 1.566हैक व खाता संख्या 35/61 की 13.8280हैक में से 1/4 हिस्सा यानी 3.457हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2066 रोही मौजा असरजाना के अनुसार वाद भूमि निकुराम पुत्र मधाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14, 16, 17 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 ता 5 जो वादी की दादी एवं पिता है ने अन्य चक/खाते में भूमि रख कर इस भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 14 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 पोतीया, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की पुत्रीया है ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 ता 14 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16,17 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16, 17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14, 16 ,17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर एक प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होते है अतः वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 34/35 की 1.566हैक व खाता संख्या 35/61 की 13.8280हैक में से 1/4 हिस्सा यानि 3. 457हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 चावलीदेवी पत्नी निकुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश 3 काशीराम 4 रामकुमार पुत्रगण निकुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 सावित्री पुत्री निकुमरा पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी काशी का आस तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
6. विमला देवी पुत्री निकुराम जाति पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी काशी का आस ऐलनाबाद तहसील सिरसा
7. कुन्तादेवी पुत्री निकुराम पत्नि भालाराम जाति जाट निवासी काशी का आस तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
8. कृष्णा पुत्री निकुराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
9. सुमन पुत्री जगदीश पत्नी अनिल जाति जाट निवासी बेईदास तहसील नोहर।
10. मन्जू पुत्री जगदीश पत्नी पवन जाति जाट निवासी बेईदास तहसील नोहर।
11 सुनीता पुत्री काशीराम पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी धेउ तहसील भादरा।
12. मोनिका पुत्री काशीराम पत्नी अनिल जाति जाट निवासी धेउ तहसील भादरा
13 पूनम पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
14 पूजा पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

16. गितेश कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
17. अजय पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 338 सन 2019 निर्णय दिनांक– 21/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 34 / 35 की 1.566हैक व खाता संख्या 35 / 61 की 13.8280हैक में से 1 / 4 हिस्सा यानि 3. 457हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/1/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)